

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 20/07/2015

संख्या- 1/श्रम वि०स्था० (1) 10-14/2015 श्र०सं०.....103...../ स्व० सुरेन्द्र कुमार,
भूतपूर्व श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक), मुंगेर को बिहार सेवा संहिता के नियम 234 में निहित
प्रावधान के तहत दिनांक 28.01.15 से 07.4.15 (मृत्यु की तिथि) तक कुल 70 दिनों (बिहार
सेवा संहिता के नियम 232 में निहित प्रावधान के तहत 140 दिन के बदले) की रूपान्तरित
छुट्टी की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(इन्दु सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-14/2015 श्र०सं०.....103...../ पटना, दिनांक-20/07/2015

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में
प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०)
विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्रमायुक्त, बिहार,
पटना/सम्बन्धित पदाधिकारी के उत्तराधिकारी को श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक),
मुंगेर के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।